फर्द अहकाम

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम – गंगापुर सिटी

ओम उर्फ ओमप्रकाश बनाम मीडया वगैरा

मुकदमा दावा नं० 54/25 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.2025 यह दावा वादी ओम उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रामफूल, माली निवासी जलोखरा तह0 गंगापुर सिटी की ओर से श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट ने हमारे समक्ष उपस्थित होकर पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण जरिए रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 02.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज0)	
02/7/25 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं।~~ श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया हैं।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/8/25 को पेश हो। रीडर	
08/8/25 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रिस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं।~~ श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया हैं।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/9/25 को पेश हो। रीडर	
29.8.25 वकील वादी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। वादी ओमप्रकाश स्वयं उपस्थित हुआ। पेश प्रस्तुत प्रार्थना किया कि प्रकरण में [illegible] हो गया है तथा वह अब इस [illegible] चलाना चाहता है। दावाखर्ची [illegible] वापस दिया जावे। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] आधार पर दावा इसी स्तर पर बिना के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] वकील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी (राज0)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:15 IST
Reason: SelfAttested